उत्तर प्रदेश शासन
नियोजन अनुभाग-1
संख्याः **10 /2017/411/35-1-17-6/8(10)/2016**
लखनऊः दिनांक 25 मई, **2017**

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

वित्तीय वर्ष 2017-2018 के प्रथम पॉच माहों (अप्रैल से अगस्त, 2017 तक) के लिए स्वीकृत लेखानुदान के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृतियॉ जारी किये जाने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के पत्र संख्या-1/2017/बी-1- 02/दस-2017-231/2017, दिनांकः 02 जनवरी, 2017 तथा पत्र संख्या-3/2017/बी-1-348/दस-2017-231/2017, दिनांक 20 मार्च, 2017 में निर्देश निर्गत किये गये हैं। राज्य समन्वयक/सदस्य संयोजक, उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड के पत्र संख्या-23/उ0प्र0रा0जै0ऊ0वि0बो0/2017, दिनांक 01.05.2017 पर प्राप्त प्रस्ताव पर विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-40 के लेखाशीर्षक-2810–अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत-01-बायो ऊर्जा-800-अन्य व्यय-04- उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड-20- सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 75.00 लाख में से विगत वित्तीय वर्ष में अप्रयुक्त अवशेष रू0 50,000/- की धनराशि का समायोजन करते हुए प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष लेखानुदान अवधि प्रथम पॉच माहों के लिए (अप्रैल, 2017 से अगस्त, 2017 तक) के लिए मानक मद-20 सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) के अन्तर्गत **रू0 30,75,000/- (रूपये तीस लाख पचहत्तर हजार मात्र)** की धनराशि अधोलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(1) उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि को शासनादेश सं0-15/2016/485/35-1-2016-2/1(86)/2014, दिनाक 13 जून 2016 में अंकित शर्तो/प्रावधानों/प्रतिबन्धों के अनुपालन में उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड/राज्य जैव ऊर्जा नीति-2014 के कार्यक्रमों/परियोजनाओं/योजनाओं के संचालन हेतु बोर्ड के मुख्यालय स्तर पर खोले गये राष्ट्रीयकृत बैंक के बचत खाते में रखा जायेगा तथा उसमें से आवश्यकतानुसार धनराशि को उक्त योजनाओं/परियोजनाओं/कार्यक्रमों/बोर्ड के संचालन हेतु राज्य समन्वयक/ सदस्य संयोजक तथा वित्त नियंत्रक, नियोजन विभाग के संयुक्त हस्ताक्षर से आहरित किया जायेगा।

(2) उक्त रूप से स्वीकृत धनराशि को बोर्ड की कार्यकारी समिति के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार व्यय/उपयोग किया जायेगा।

(3) इस सम्बन्ध में समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों/परिपत्रो/शासनादेशों/वित्तीय हस्त-पुस्तिका तथा बोर्ड की नियमावली का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान कार्यालय महालेखाकार, इलाहाबाद, उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यता कराया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन अनुभाग-1 को प्रेषित किया जायेगा।

2. 31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 88.92 लाख के सापेक्ष लेखानुदान अवधि प्रथम पॉच माह (अप्रैल, 2017 से अगस्त, 2017 तक) के लिए रू0 37.05 लाख की धनराशि आगणित होती है। इस मानक मद में विगत वित्तीय वर्ष में अप्रयुक्त अवशेष रू0 67.43 लाख की धनराशि है। अतः वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक

20 मार्च, 2017 संलग्नक 02 जनवरी, 2017 के प्रस्तर-2 (9) में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत अप्रयुक्त अवशेष धनराशि का समायोजन के पश्चात अप्रयुक्त अवशेष धनराशि बचती है। अतः इस मद की वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं की जा रही है।

3. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 20 मार्च, 2017 के प्रस्तर-3 में दी गयी व्यवस्थानुसार मानक मद 53-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राज्य सहायता) में प्राविधानित धनराशि रू0 04.90 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं की जा रही है।

4. उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान सं0 40 के अन्तर्गत ''लेखा शीर्षक-2810 –अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत-01-बायो ऊर्जा-800-अन्य व्यय-04- उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड-20- सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)'' के नामें डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 02 जनवरी, 2017 एवं 20 मार्च, 2017 में दिये गये निर्देशानुसार जारी किये जा रहे हैं।

(देशराज सिंह)
उप सचिव।

संख्याः 10/2017/411(1)/35-1-2017-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड/मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4. उपाध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड/कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
5. वित्त नियंत्रक, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. राज्य समन्वयक/सदस्य संयोजक, उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड, लखनऊ।
7. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. केन्द्रीय सहायता (वित्त) अनुभाग।
9. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
10. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
11. वित्त (लेखा) अनुभाग-1
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(देशराज सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।